कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

याचिका संख्या 1304/18 नरेन्द्र सिंह वर्मा बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 16/1/18 की पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/डीपीसी/17-18 दिनांक 25/9/17 के कियान्वयन पर रोक लगाते हुए प्रकरण में न्यायालय के निर्णय होने तक कार्मिक के व्याख्याता भूगोल पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 26/8/17 के पदस्थापन आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।

क. स.	कार्मिक का नाम	विषय	कहां से	कहां को
1.	नरेन्द्र सिंह वर्मा	भूगोल	आदेशों की प्रतिक्षा में मा0शि0 निदेशालय, बीकानेर	राबाउमावि राजगढ, अलवर

कार्मिकों को दिनांक : 16 /08/2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। शेष शर्ते मूल आदेश अनुसार यथावत रहेगी । उक्त कार्मिक का व्याख्याता पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन याचिका संख्या 1304/18 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा । संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय व शाला दर्पण में अपडेट करने की व्यवस्था करावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/या0सं0 1304/18/नरेन्द्र सिंह दिनांक 7/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपनिदेशक, (माध्य) जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य) अलवर
3. संबंधित संस्था प्रधान, राबाउमावि राजगढ, अलवर
4. संबंधित कार्मिक,
5. संयुक्त विधि परामर्शी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा-माध्य/विधि/बी-2/जय/29833/बी/2018 दिनांक 20/2/18 के कम में सूचनार्थ ।
6. प्रभारी ओएसी प्रभाग को उनके आदेश दिनांक 25/9/17 के कम में सूचनार्थ ।
7 निजी/रक्षित पत्रावली
8 सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्रीमती शशिकांता सैनी व्याख्याता राजनीति विज्ञान का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–6/स्थानान्तरण/राजनीति विज्ञान/2018 दिनांक 18.06.2018 द्वारा वोकेशनल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नयापुरा– कोटा से राउमावि खातोली कोटा किया गया। श्रीमती शशिकांता ने अपने स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 14487/2018 दायर की। याची ने कहा कि उसके रिटायरमेंट में 02 वर्ष से भी कम का समय है तथा वह हृदय रोग से ग्रसित है। याची का पति भी वरिष्ठ अध्यापक है जो कि कोटा में पदस्थापित हैं तथा 22 माह के समयान्तराल में मेरा स्थानान्तरण कर दिया गया है अतः मुझे यथावत रखा जाय। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करनें तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करनें के आदेश जिसकी पालना में याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया, और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि याची की मांग के विषय में स्प्ष्ट है कि याची का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया। याची को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिया गया। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरियता है। अतः याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निरस्त किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–6/याचिका सं0 14487/18/शशिकांता/2018 दिनांक 07/8/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक शशिकांता
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग को अपलोड हेतु
4. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर